रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1359] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2008/आश्विन 3, 1930

No. 1359] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2008/ASVINA 3, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(बाल श्रम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

का.आ. 2280(अ).—जबकि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में आगे संशोधन हेतु, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 की अपेक्षानुसार, प्रस्ताव का प्रारूप उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 8 मई, 2008 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 8 मई, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1109(अ) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था ।

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 8 मई, 2008 को उपलब्ध करा दी गईं ।

और जबकि, उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में तीन महीने की उक्त अवधि के दौरान आम जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

अतः, अब, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है एवं निदेश देती है कि ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे, अर्थात् :—

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की अनुसूची में :—

(i) भाग क में, "व्यवसायों" शीर्षक के अन्तर्गत मद (15) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(16) डाइविंग";

(ii) भाग ख में, "प्रक्रियाएं" शीर्षक के अंतर्गत मद (57) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(58) अत्यधिक ताप (जैसे-भट्ठी के नजदीक कार्य करना) तथा ठंड के संपर्क (एक्सपोजर) वाली प्रक्रियाएं;

(59) यांत्रिक विधि से मछली पकड़ना;

(60) खाद्य प्रसंस्करण;

(61) बेवरीज संबंधी उद्योग;

(62) लकड़ी हैंडलिंग तथा लादने संबंधी कार्य;

(63) मैकेनिकल लुम्बरिंग;

(64) शेयर शाउसिंग;

(65) खुले सिलिका जैसे-स्लेट, पेंसिल उद्योग, पत्थर पिसाई, स्लेट पत्थर खनन कार्य, पत्थर खदान, एगेट उद्योग संबंधी कार्यों के संपर्क वाली प्रक्रियाएं ।"

[फा. सं. एस-27012/3/97-सीएल]

एस. के . देव वर्मन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी.— इस अनुसूची में संशोधन के लिए पिछली अधिसूचना दिनांक 5 जून, 1989 की अधिसूचना का.आ. 404(अ), दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना का.आ. 263(अ), दिनांक 27 जनवरी, 1999 की अधिसूचना का.आ. 36(अ), दिनांक 10 मई, 2001 की अधिसूचना का.आ. 397(अ), तथा दिनांक 10 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना का.आ. 1742(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Child Labour Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2008

S.O. 2280(E).—Whereas the draft of the proposal further to amend the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) was published, as required by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) dated the 8th May, 2008 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 1109 (E), dated the 8th May, 2008 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public.

And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the general public on the 8th May, 2008;

And, whereas, no objections and suggestions on the said draft notification were received from the general public within the said period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government on the recommendations of the Child Labour Technical Advisory Committee, hereby makes the following amendments further to amend the Schedule to the said Act and directs that they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, namely :—

In the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) :—

(i) in Part A, under the heading "Occupations", after item (15) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be added, namely : –

"(16) Diving".

(ii) In Part B, under the heading "Processes", after item (57) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be added, namely : —

"(58) Processes involving exposure to excessive heat (e.g. working near furnace) and cold;

(59) Mechanised fishing;

(60) Food Processing;

(61) Beverage Industry;

(62) Timber handling and loading;

(63) Mechanical Lumbering;

(64) Warehousing;

(65) Processes involving exposure to free silica such as slate, pencil industry, stone grinding, slate stone mining, stone quarries, agate industry."

[F. No. S-27012/3/97-CL]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Footnote.—The first notification to amend the Schedule was published in the Gazette of India, *vide* notification No. S.O. 404(E), dated the 5th June, 1989, S.O.263(E), dated the 29th March, 1994, S.O. 36(E), dated the 27th January, 1999, S.O. 397 (E), dated the 10th May, 2001 and S.O. 1742 (E), dated the 10th October, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.